



नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

फोन-0120 2412294, 2412445; फैक्स: 0120 2412218

ई-प्रोक्वोरमेंट (प्रापण) सूचना

संदर्भ सं.: एनएफएल/मार्केटिन-डी/पीडीएफ/2024-25/02 दिनांक: 16.09.2024

विभिन्न राज्यो में विपणन हेतु पीडीएम (सिग्युमेंटेड) की खरीद के लिए सम्भावित निविदादाताओं से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत विवरणों के लिए वेबसाइट: <https://etenders.gov.in/eprocure/app> (ई-निविदा) एवं [www.nationalfertilizers.com](http://www.nationalfertilizers.com) (होमपेज) देखें। ई-निविदत से 2024\_NFL\_208115 1 है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: /लक्नौकी निविदत प्रस्तावत्र खुलने की तिथि करारा- 26.09.2024 को 15:30 बजे / 27.09.2024 को 15:30 बजे है। इतं निविदा का कोई भी शुद्धिपत्र केवल वेबसाइटपर प्र प्रकाशित किया जाएगा।

उप महाप्रबंधक (विपणन-डी)

कब्जा सूचना				
जबकि, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना स्मॉल फाइनंसेस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्षी फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी के रूप में सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को मांग सूचना जारी करता है, जिसमें उधारकर्ताओं से संबंधित नामों के सामने उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्तन भेटिस की प्राप्ति की तारीख से, भुगतान और/ या चुसुली की तारीख तक किए गए प्रासंगिक खर्चों, लागतों, शुल्कों आदि के रूप में भविष्य के ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया था।				
क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता /सह-उधारकर्ता /बैंककृत /बैंककृत (रुपये में)	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया देय (रुपये में)	दिनांक /समय एवं कब्जे का प्रकार
1	31289670000067 31289410000275 31289440000232	1) एक्सपोर्ट शॉपी, इसके मालिक श्रीमती लता द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्रीमती लता (उधारकर्ता), 3) श्री प्रेम प्रकाश (गारंटर), 4) श्रीमती विमलेश (गारंटर)	21.06.2024 ₹.75,75,572 /- (रुपये पाँच लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ बहतर मात्र)	तारीख 13.09.2024 समय 04:31 दोपहर सांकेतिक कब्जा
<b>सुरक्षित संपत्ति का विवरण:</b> 1 कित्ता प्लॉट, भाग 10 जीए ज़रब 27 कीट क्षेत्रफल, भूमि नगर निगम संख्या 31, कित्ता संख्या 8/1, 8/2 से 30 वर्ग गज की दूरी पर, राजस्व संपदा मीजा उच्चा गांव, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। मालिक श्रीमती विमलेश देवी, पत्नी साहब सिंह हैं। सीमा: पूर्व-अन्य आवासी, पश्चिम-श्याम जी का मोरंद, उत्तर-प्लॉट, दक्षिण- आम रास्ता।				

जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता /सह-उधारकर्ता /गारंटर/बंधकर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनंसेस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरो/बंधकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि ये उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साधने-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनंसेस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थान: दिल्ली एनसीआर	हस्ता/—प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांक: 16.09.2024,	जना स्मॉल फाइनंसेस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनंसेस बैंक

(एक अनुसूचित संपत्तियुक्त बैंक)

पंजीकृत कार्यालय: ड फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ रोमहरू, कोरंगला इनर रिंग रोड, इंडीपल विजनेस पार्क के बालनर्, बल्लभगढ़, बैंगलोर-560071

शाखा कार्यालय: 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए अर्ध सामाज रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005

सार्वजनिक सूचना	
( दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत )	
श्रीमती हरमीन कौर के क्रेडिटर्स के ध्यानार्थ	
संबंधित विवरण	
1. परसंत गारंटर (पीजी) का नाम	हरमीन कौर
2. पीजी के पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय	142, 3 ग तल, चड़क सदन, विकासपुरी, दिल्ली-110018
3. निर्णांक प्रधिकरण के आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ ने केनरा बैंक बनाम हरमीन कौर, र्थ, कम्पेय इन्फोवेल्वेस लिमिटेड के पीजी के मामले में सीबी (आईबी) 353/एनसीएलटी2024 में आदेश नं. 3952/2024 में आईसीबी, 2016 की धारा 100 के अंतर्गत दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया स्वीकृत किया है।
4. व्यक्तिगत दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने की तिथि	12 सितंबर, 2024
5. पीजी के अंतरिम प्रस्ताव कर्मी के रूप में नाम तथा पंजीकरण संख्या	माया गुप्ता कारक ईस्टवेल्वेसी कर्मी का नाम तथा पंजी. सं. IBBI/PA-002/IP-000363/2017-18/11061 एएएए की वैधता 30.6.2025 तक
6. वीआई में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव कर्मी का पता तथा ईमेल पता	माया गुप्ता निवासी : 3685/7, नारंग कालिनी, वि नगर, दिल्ली-110035 ईमेल आईडी : fcsmayagupta@gmail.com
7. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये माया गुप्ता रेंड एसीसीएट्स, सीओ। 1 ता तल, सिसियर टावर, प्लॉट नंं 4, प्रोत विहार कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-110092 ईमेल आईडी : RP.HARMEENKAUR@GMAIL.COM	
8. दावे बाना करने की अंतिम तिथि	7.10.2024
9. संबंधित प्रपत्र उपलब्ध हैं:	<a href="https://ibbi.gov.in/home/downloads">https://ibbi.gov.in/home/downloads</a>

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रिय कम्पनी विधि अधिनियम, नई दिल्ली ने दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 100 के अंतर्गत 12.9.2024 को श्रीमती हरमीन कौर का परसंत दिवालिया सम्पादन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।  
एतद्वारा श्रीमती हरमीन कौर के क्रेडिटर्स को निवेदन किया जाता है कि मद सं. 7 के समक्ष वर्णित पत्र पर प्रस्ताव कर्मी के पास भारत दिवालिया तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट डेटर्स) के परसंत गारंटर्स के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 7 के अंतर्गत प्रपत्र भी नं 7.10.2024 को यथा अपने देय बाना करें। क्रेडिटर्स व्यक्तिगत/अथवा डाक द्वारा/अथवा ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।  
दावे का तालत अथवा प्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जाएगा।

हस्ता./—	माया गुप्ता
तिथि : 16.9.2024	हरमीन कौर के प्रस्ताव कर्मी
स्थान : दिल्ली	पंजी. सं. IBBI/PA-002/IP-000363/2017-18/11061

फॉर्म संख्या – एनसीएलटी 2016

(राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नियम, 2016 का नियम 35)

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष कंपनी याचिका संख्या सीपी (सीएफ) संख्या 33/चंडीगढ़/हरियाणा/2024 के संबंध में कंपनी आदेशन संख्या के संबंध में सीए (सीएफ) संख्या 5/चंडीगढ़/हरियाणा/2024

धारा 230 से 232 के साथ धारा 66 के मामले में तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ में, कंपनी (तमझौता, व्यवस्था और सामांसेलन) नियम, 2016

तथा

सीट्ज़ टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीट्ज़ ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में

सीट्ज़ टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [CIN: U74899HR1975PTC107706], कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक निजी लिमिटेड कंपनी है, तथा इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या - 38, सेक्टर - 6, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 006 में है।

याचिकाकर्ता कंपनी 1 / विभाजित कंपनी

सीट्ज़ ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड [CIN: U29300HR2023PTC117048], एक निजी लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर - 38, सेक्टर - 6, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 006 में है।

याचिकाकर्ता कंपनी 2 / परिणामी कंपनी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत एक याचिका (याचिका) जिसमें सीट्ज़ टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी 1 / विभाजित कंपनी) और सीट्ज़ ऑटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी 2 / परिणामी कंपनी) (याचिकाकर्ता कंपनी 1 और याचिकाकर्ता कंपनी 2) को एक साथ याचिकाकर्ता कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है) और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की प्रस्तावित योजना की मंजूरी मांगी गई थी, जिसे याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण / एनसीएलटी) की चंडीगढ़ बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और माननीय एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किया गया था। अब माननीय एनसीएलटी द्वारा 30 अगस्त, 2024 को दिए गए आदेश के अनुसार उक्त याचिका की सुनवाई माननीय एनसीएलटी के समक्ष 25 अक्टूबर, 2024 को होनी तय की गई है।

यदि कोई व्यक्ति उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करना चाहता है, तो उसे याचिकाकर्ता कंपनी 1 को, ऊपर बताए गए पते पर, अपने या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, अपने नाम और पते के साथ, अपनी मंशा की सूचना भेजनी चाहिए, तथा याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि अर्थात् 25 अक्टूबर, 2024 से दो दिन पहले, ग्राउंड फ्लोर, कॉर्पोरेट भवन, सेक्टर 27-बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ - 160 019 स्थित माननीय एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किया गया था। अब माननीय एनसीएलटी द्वारा 30 अगस्त, 2024 को दिए गए आदेश के अनुसार उक्त याचिका की एक प्रति, ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत करनी होगी। याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा याचिका की एक प्रति, निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर, किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी, जिसे इसकी आवश्यकता होगी।

Sd/-	राजेश खन्ना, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
दिनांक: 16 सितंबर, 2024	सीट्ज़ टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए
स्थान: फरीदाबाद	



भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उधारकर्ता की गुरुरीश सिंह भावला और श्रीमती जसपाल कौर को एक मांग नोटिस दिनांक 18-04-2024 को जारी किया था जिसमें मांग सूचना में उल्लेखित राशि रु. 26,51,746/- (रु. छब्बीस लाख इक्यावन हजार सात सौ छियालीस मात्र) और दिनांक 18.04.2024 तक और उक्त राशि पर सविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, सभी आकरमिक खर्चों, लागत एवं प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्वारा कर्जदार/ गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) उक्त नियमों के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा 11.09.2024 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/ गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते राशि रु. 26,51,746/- (रु. छब्बीस लाख इक्यावन हजार सात सौ छियालीस मात्र) और दिनांक 18.04.2024 तक और उक्त राशि पर सविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, सभी आकरमिक खर्चों, लागत एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान एकट की धारा 13 की उप धारा (b) के प्राधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की और आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक
सांयिक बंधक सम्पत्ति प्लेट नं. 0106, टैवर-05, प्रथम तल, सावाना आरपीएस सिटी, सेक्टर-88, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 में स्थित	
सभी अधिकारों, शीर्षक और हित, सुविधा, विशेषाधिकार और सम्पत्ति का स्वामित्व सभी के साथ फिटिंग, फिक्स्चर, कनेक्शन, उस पर बनी संरचना, जो आनुगुणिक अधिकारों के साथ हैं। सामान्य रास्ता क्षेत्रों, सीढ़ियाँ और अन्य सामान्य सुविधाएं जो वहां उपलब्ध हैं, यदि कोई हो।	
दिनांक : 11-09-2024 स्थान : दिल्ली	

This advertisement is for information purpose only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell the securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meanings assigned to them in the Letter of Offer dated September 05, 2024 ("Letter of Offer" or "LOF") filed with BSE Limited ("BSE") and NSE Limited ("NSE").



ORIENTAL TRIMEX LIMITED

Oriental Trimex Limited (the "Company" or the "Issuer") was originally incorporated as "Oriental Trimex Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956, vide certificate of incorporation issued on April 22, 1996, by the Registrar of Companies, Delhi & Haryana. Thereafter, the name of our Company was changed from "Oriental Trimex Private Limited" to "Oriental Trimex Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Delhi & Haryana on February 06, 2001.

Corporate Identity Number: L74899DL1996PLC078339

Registered & Corporate Office: 26/25 Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, New Delhi, 110060 India; Telephone: 011-45048612, 98100 16951;

Contact Person: Mrs. Purva Mirajkar, Company Secretary and Compliance Officer Email: info@orientaltrimex.com; Website: www.orientaltrimex.com

OUR PROMOTERS: MR. RAJESH KUMAR PUNIA, MRS. SAVITA PUNIA, MR. SUNIL KUMAR, MIS ORIENTAL BUILDMART EXPORTS PRIVATE LIMITED AND MIS ORIENTAL TRIMEX LITEED

ISSUE OF UP TO 4,41,04,359 (FOUR CRORE FOURTY ONE LAKHS FOUR THOUSAND THREE HUNDRED AND FIFTY-NINE ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS. 11 EACH PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO RS. ₹ 4851.48 LAKHS \* ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 (THREE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 2 (TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON THURSDAY, SEPTEMBER 05, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1.1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 151 OF THE LETTER OF OFFER

\*Assuming full subscription

FOR ATTENTION OF THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY ONLY

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON

LAST DATE FOR ON MARKET RENCUNCIATIONS

ISSUE CLOSES ON

THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2024

TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2024

FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024

\*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renounees on or prior to the Issue Closing Date.

# Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA\*

Simple, Safe, Smart way of Application.  
\* Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.

### PROCESS OF MAKING AN APPLICATION IN THE ISSUE

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all Shareholders desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.

For details, see "Making of an Application through the ASBA process" on Page 153, of the Letter of Offer.

- Making of an Application through the ASBA process**

An Investor, wishing to participate in the Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with SCSBs, prior to making the Application. Investors desiring to make an Application in the Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For details of making application through ASBA process, Eligible Equity Shareholders are advised to refer to "Making of an Application through the ASBA process" on page 153 of the Letter of Offer.

- Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form**

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in the Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, as applicable, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company. Eligible Equity Shareholders, who hold Equity Shares in physical form, as applicable, as on Record Date and who have opened their demat accounts after the Record Date, shall adhere to following procedure for participating in the Issue:

Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form are advised to refer to the procedure for Application by and credit of Rights Equity Shares in "Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form" on page 156 of the Letter of Offer.

- Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process**

An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to the Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above and only such plain paper applications which provide all the details required in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations shall be accepted by SCSBs. In such cases of non-receipt of the Application Form through physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source, may make an application that is available on the website of the Registrar, Stock Exchanges, along with the requisite Application Money, to subscribe to the Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available online. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorizing such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.


For details regarding making application on plain paper, Eligible Equity Shareholders are advised to refer to "Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process" on page 154 of the Letter of Offer.

**PLEASE NOTE THAT, IF THE SHAREHOLDERS MAKES AN APPLICATION USING THE APPLICATION FORM AS WELL AS PLAIN PAPER OR MULTIPLE PLAIN PAPER APPLICATIONS, SUCH APPLICATIONS SHALL BE TREATED AS MULTIPLE APPLICATIONS AND ARE LIABLE TO BE REJECTED.**

### CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS

In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date i.e. September 19, 2024, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, "Oriental Trimex Limited Rights Issue") opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in a demat suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations; or (b) Equity Shares held in the account of IEPF authority; or (c) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (d) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (e) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (f) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings. Eligible Equity Shareholders are requested to provide relevant details (such as copies of self-attested PAN and client master sheet of demat account etc., details/ records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares) to the Company or the Registrar not later than two Working Days prior to the Issue Closing Date, i.e., by September 25, 2024 to enable the credit of their Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense escrow account to their demat account at least one day before the Issue Closing Date, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue, and this communication shall serve as an intimation to such Eligible Equity Shareholders in this regard. Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to the Company or the Registrar account is active to facilitate the aforementioned transfer.

**PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS, WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM, AS APPLICABLE, AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OR OUR COMPANY AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE, SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM, AS APPLICABLE.**



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Union Bank of India

A Government of India Undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

एलएसआई गाजियाबाद, पता : नवयुग मार्केट गाजियाबाद

संपर्क नं. : 9137550850, ईमेल आईडी : ubin0550850@unionbankofindia.bank

अधिग्रहण सूचना  
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 का नियम 8(1)]  
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 (2002 का अधि. सं. 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न विवरणों के साथ एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर निम्नानुसार अंकित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

बैंकि ऋणकर्ता(गण) निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता(ओं) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के सम्म अंकित तिथि को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्ति के मोचनार्थ, ऋणकर्ता के पास उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (b) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणकर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, निम्नांकित राशि हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / गारंटर का नाम एवं पता	माँग सूचना तिथि एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि	बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण	कुल देय राशिर्वाँ रु.
1.	(1) मैसर्स रामवंश फाइने्रोलेजी प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय : आर – 13 /47, राजनगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201002, यूनिट : भूखण्ड सं. एचसी – 19 यूपीएसआईडीसी लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र	02.01.2024 रु. 51,49,869 /—	09.09.2024	अचल संपत्ति के बंधक का विवरण यहाँ इसमें निम्नानुसार है :- ईरूप प्रॉपर्टी नं. भूखण्ड सं. एचसी – 19 यूपीएसआईडीसी लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर। निम्नानुसार सीमाओं के साथ :- उत्तर-पूर्व : 25 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण-पश्चिम : भूखण्ड सं. एचई-07 एवं एचई-07 एवं एचई-08, उत्तर-पश्चिम : भूखण्ड सं. एचसी-18, दक्षिण-पूर्व : भूखण्ड सं. एचसी-20, मैसर्स रामवंश फाइने्रोलेजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर।	रु. 51,49,869 /- + ब्याज तथा अन्य व्यय

दिनांक : 14—09—2024

### LAST DATE FOR APPLICATION

The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is September 27, 2024 i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Terms of the Issue- Basis of Allotment" on page 172. Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Investors can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.